आर.एन.आई. नं. RAJHIN (2003) 8976
Postal Reg. No. *JaipurCity/203/2017-19*

निर्भीक निडर निष्पक्ष

पाक्षिक

न्यायिक ज्वाला

''न्याय करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि ऐसा लगना भी चाहिए कि न्याय हुआ है'' ''यदि कहीं भी अन्याय है तो वह न्याय के लिए खतरा है''

वर्ष 14 अंक 16 *संस्थापक : स्व. दुर्गाप्रसाद शर्मा* जयपुर, 25 अगस्त, 2017 पृष्ठ-8 मूल्य : 5 रु. Website: www.nyayikjwala.org.

35ए पर संविधान पीठ कर सकती है सुनवाई

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने संकेत दिए हैं कि जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के विशेष अधिकारों से सम्बन्धित संविधान के अनुच्छेद 35ए को चुनौती देने वाली याचिका पर पांच सदस्यीय संविधान पीठ सुनवाई कर सकती है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा तथा न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर की पीठ ने सुनवाई के लिये आई याचिका को पहले ही लम्बित ऐसी ही एक अन्य याचिका के साथ संलग्न कर दिया। जिस पर इस महीने के आखिर में तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ सुनवाई करेगी। पीठ ने कहा, ''अगर इस विषय पर पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ सुनवाई की आवश्यकता महसूस की गई तो तीन न्यायाधीशों वाली पीठ इसे उसके पास भेज सकती है।''

याचिका पर सुनवाई के दौरान जम्मू-कश्मीर सरकार के वकील ने कहा कि जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने 2002 में सुनाए गए अपने फैसले में अनुच्छेद 35ए के मुद्दे का 'प्रथम दृष्टया निपटान' कर दिया था। उच्चतम न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 35ए तथा जम्मू-कश्मीर संविधान की धारा 6 (राज्य के 'स्थाई निवासियों' से सम्बन्धित) को चुनौती देने वाली चारू वली खन्ना की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

भड़के उमर, गंभीर परिणामों की दी चेतावनी

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उमर उब्दुल्ला ने बीजेपी पर 35ए केस को एक ऐसा मुद्दा बनाने का आरोप लगाया है जो कश्मीर को तो फायदा पहुंचाएगा, लेकिन जम्मू पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी ने आर्टिकल 35ए के मुद्दे को जम्मू बनाम कश्मीर का रूप दे दिया है।

उमर ने कहा कि बीजेपी कहती है कि 35ए से कश्मीर को फायदा होगा। और जम्मू पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा लेकिन सच ये है कि 35ए को हटाने से राज्य का कोई भी हिस्सा फायदे में नहीं रहेगा। मैं बस भाजपा के इस प्रचार को खत्म करना चाहता हूं। उमर ने आगे कहा कि अगर बीजेपी जम्मू-कश्मीर में 35ए आर्टिकल खत्म करने में कामयाब होती है तो इसका खराब असर होगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी इसे हटाने को लेकर प्रोपेगैंडा फैला रही है, जिसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदना चाहता है वह क्या कश्मीर के नियमों का पालन करेगा? यहां तक कि कश्मीर में रहने वाले लोग वहां सुरक्षित महसूस नहीं करते।

अनुच्छेद 35ए

मसला क्यूं है गर्म

अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष राज्य के दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब इससे जुड़े एक और अनुच्छेद पर सवाल उठने लगे हैं। एक एनजीओ द्वारा अनुच्छेद 35ए को निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। इस अनुच्छेद को समाप्त न किए जाने को लेकर जम्मू-कश्मीर की सत्ताधारी पार्टी पीडीपी और विपक्षी पार्टी एनसी साथ आ गई हैं।

खास अनुच्छेद

संविधान का अनुच्छेद 35ए जम्मू-कश्मीर की विधानसभा को यह विशेषाधिकार देता है कि वहां के स्थायी नागरिकों और उनके अधिकारों को परिभाषित करे। इसे 1954 के राष्ट्रपति आदेश के बाद संविधान में जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद 370 के तहत जारी किया गया था, जो जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है।

प्रावधान

इस अनुच्छेद के तहत राज्य के स्थायी नागरिक वे लोग माने गए, जो 14 मई, 1954 को राज्य का हिस्सा थे या फिर दस वर्षों से राज्य में रह रहे थे, और कानूनी रूप से राज्य में अचल संपत्ति के मालिक हैं। इसका एक प्रावधान खास परिस्थितियों में उन लोगों को भी स्थायी नागरिक होने की मान्यता देता है जो पाकिस्तान जाकर बसे और फिर लौट आए।

विवाद

2014 में वी द सिटीजेंस एनजीओ ने अनुच्छेद 35ए को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। एनजीओ का कहना था कि इसे संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किए बिना जोड़ा गया था। न ही इसे कभी संसद के सामने पेश किया गया। इसे सीधे लागू कर दिया गया।

महिलाओं के प्रति पक्षपाती

इस कानून को महिलाओं के प्रति पक्षपाती माना गया। इसके तहत अगर वे किसी गैर स्थायी नागरिक से शादी कर लेती हैं तो वे स्थायी नागरिक वाले अपने अधिकार खो देंगी। हालांकि 2002 में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि ऐसी शादी की स्थिति में भी महिलाओं के अधिकार बने रहेंगे। हालांकि उनके बच्चों को यह अधिकार हस्तांतरित नहीं होंगे।

राजनीतिक दलों को आपत्ति

अनुच्छेद को निरस्त करने की याचिका के विरोध में जम्मू-कश्मीर सरकार ने याचिका दाखिल की, लेकिन केन्द्र ने कोई कदम नहीं उठाया। यह रवैया कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस को रास नहीं आया। इन दलों को डर है कि इससे राज्य की स्वायत्ता और कम हो जाएगी। अगर अन्य राज्यों के लोग यहां बसने लगे तो इस मुस्लिम बहुल राज्य की जनसांख्यिकी बदल जाएगी। हालांकि बीते 70 वर्षों में यहां ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि जम्मू के हिन्दू बहुसंख्यकों और लद्दाख के बौद्ध लोगों को घाटी में संपत्ति खरीदने और बसने का अधिकार है।

इस आधार पर चुनौती नहीं

अनुच्छेद 35ए के तहत बने कानूनों को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वे अन्य भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं यानी किसी अन्य राज्य के नागरिक कोर्ट में यह याचिका नहीं दाखिल कर सकते हैं कि जम्मू-कश्मीर के स्थायी नागरिकों को मिले विशेषाधिकार उनके समानता के अधिकार को बाधित कर रहे हैं।

विधानसभा कर सकती है बदलाव

जम्मू-कश्मीर विधानसभा दो-तिहाई बहुमत के साथ स्थायी नागरिक की परिभाषा में फेरबदल कर सकती है। यहां के स्थायी नागरिकों को स्थायी नागरिक प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसके आधार पर उन्हें राज्य में अधिकार दिए जाते हैं।

कानून के मायने

स्थायी नागरिकों को ही विधानसभा चुनाव लड़ने या उसमें मतदान करने की अनुमति है। बाहरी व्यक्ति न तो वहां संपत्ति खरीद सकते हैं, न बस सकते हैं और न उन्हें राज्य में सरकारी नौकरी मिल सकती है।

निरस्त होने की स्थिति में

- अगर अनुच्छेद 35ए को निरस्त कर दिया जाता है तो 41 अन्य राष्ट्रपति आदेश भी कानूनी चुनौती दिए जाने के दायरे में आ जाएंगे।
- ये सभी आदेश 1954 के राष्ट्रपति आदेश के संशोधन के रूप में पारित हुए थे।
- इन्हीं आदेशों के चलते संघ सूची की 97 प्रविष्टियों में से 94 को और भारतीय संविधान के 260 अनुच्छेदों को भी राज्य के कानून में शामिल किया गया है।
- इन्हीं आदेशों का उपयोग करके राज्य के संविधान में अनेक प्रावधानों को बदला गया है।
- इसमें सदर-ए-रियासत (राज्य के राष्ट्रपति) को राज्यपाल और प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री में बदलना शामिल है।
- इन्हीं के जरिए सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग राज्य में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

केरल में लव 'जिहाद' एनआईए जांच के आदेश

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उस मुस्लिम पुरुष द्वारा उठाए गए मुद्दों की सर्वोच्च अदालत के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने का आदेश दिया जिसके विवाह को केरल उच्च न्यायालय ने लव जिहाद का मामला बताते हुए रद्द कर दिया था। प्रधान न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर.वी. रवीन्द्रन की देखरेख में मामले की जांच होगी। पीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।

साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि वह राष्ट्रीय जांच एजेंसी की रिपोर्ट, केरल पुलिस से मिली जानकारी और महिला से बातचीत करने के बाद विचार-विमर्श करेगी और फिर कोई निष्कर्ष निकालेगी। उच्चतम न्यायालय ने 10 अगस्त को केरल पुलिस को मामले की जांच का ब्यौरा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के साथ साझा करने का निर्देश दिया था। यह मामला तब उच्चतम न्यायालय में पहुंचा जब केरल निवासी शफीन जहां ने केरल उच्च न्यायालय द्वारा अपना विवाह रद्द किए जाने को चुनौती दी। उच्चतम न्यायालय ने पुलिस को ऐसे मामलों की जांच करने के आदेश दिए थे। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस मामले की जांच का जिम्मा एक तटस्थ एजेंसी के तौर पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप रही है जो पूरी तस्वीर सामने लाएगी और यह पता लगाएगी कि क्या यह खास मामला एक छोटी जगह तक ही सीमित है या व्यापक रूप में है। जहां ने पिछले साल दिसम्बर में एक हिन्दू महिला से विवाह किया था। केरल उच्च न्यायालय ने उसका विवाह रद्द कर दिया।

सम्पादकीय ....

भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्यवाही ?

अभी हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि यदि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी व कर्मचारी पद से हट जाते हैं या उनका अन्यत्र तबादला हो जाता है तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन की स्वीकृति लेनी आवश्यक नहीं होगी।

माननीय मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नन्द्राजोग और न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश स्वप्रेरणा से दर्ज और एक अन्य जनहित याचिका को निपटाते हुए दिए थे। कोर्ट ने प्रमुख सचिव और एडीजी एसीबी को परिपत्र जारी करने के निर्देश देते हुए एसीबी से अनुसंधान जल्द पूरा करके रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने की आशा भी जतायी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने पालना रिपोर्ट पेश कर अभियोजन स्वीकृति के 30 मामले लम्बित बताये जिसमें से तेरह मामले कार्मिक विभाग, छह यूडीएच, चार पंचायती राज और तीन मामले राजस्व विभाग के लम्बित बताये साथ ही साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और वन विभाग के भी एक-एक मामले लम्बित बताये।

माननीय उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के मामलों में लम्बे समय से अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अदालती कार्यवाही अटकने पर स्वप्रेरणा से यह प्रसंज्ञान लिया था। साथ ही 1 फरवरी को ही कोर्ट ने अभियोजन स्वीकृति पर लम्बित मामलों पर निर्णय करने एवं अन्य दोषी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी थी।

विडम्बना यह है कि भ्रष्टाचार के छोटे-छोटे मामलों में तो एसीबी तत्काल हरकत में आ जाती है और गिरफ्तारी एवं कार्यवाही भी करती है किन्तु गंभीर मामलों या यों कहें बड़े मामलों में जिन मामलों में उच्च अधिकारियों के साथ राजनेताओं की भी भागीदारी होती है उन मसलों पर तो प्रथम सूचना तक दर्ज नहीं की जाती। ऐसे कई मामले हमारे सामने आये हैं जिन मामलों में भ्रष्टाचार से सम्बन्धित तमाम दस्तावेजों की उपलब्धता के बावजूद न तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और न ही भ्रष्टाचार विभाग ने कोई कार्यवाही करने का साहस किया। चिन्ताजनक स्थिति तो यह है कि अधिनस्थ अदालत ने भी इन गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज करने तक के निर्देश प्रदान नहीं किये। ऐसी स्थिति में जब तक न्यायपालिका स्वयं आगे आकर भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही नहीं करेगी तब तक भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर ना तो शिकंजा कसा जा सकता है और न कसा जा सकेगा।

'नेशनल मीडिया कमीशन गठित हो'

नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (डीयूजे) ने ''प्रैस काउंसिल ऑफ इंडिया'' के स्थान पर एक नया स्वायत्तशासी ''नेशनल मीडिया कमीशन'' स्थापित किये जाने की मांग की है क्योंकि प्रैस काउंसलि बहुत ही प्रभावहीन तथा शक्तिविहीन निकाय साबित हो रहा है।

डी यू जे एक्जीक्यूटिव कमेटी की एक विशेष बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि केन्द्र सरकार से एक व्यापक आधार वाला मीडिया कमीशन गठित करने वाला मीडिया कमीशन गठित करने का आग्रह किया जाए जो अखबार, न्यूज चैनलों व ऑन लाइन न्यूज वेबसाइट से जुड़े सभी मामलों में नियामक की भूमिका निभाए।

कमीशन को बढ़ती चुनौतियों व समस्याओं, जिनका सामना समूचा मीडियाकर रहा है, से, तथा उसके सभी नतीजों से निपटने के अधिकार दिए जाने चाहिए, जिनमें शामिल हैं प्रैस की आजादी सुनिश्चित करना, समाचार प्रकाशनों की विश्वसनीयता व साख पर आए खतरों को दूर करना व कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन देना।

डी यू जे के अध्यक्ष एस.के. पांडे ने एक बयान में कहा, संविधान के तहत प्रैस को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा गया है और इसलिए आवश्यक है कि तमाम राजनैतिक व व्यवसायिक दबावों को खत्म कर प्रैस की आजादी व मूल्यों को सुरक्षित रखा जाए। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि पत्रकारों के लिए नया वेतन बोर्ड गठित करने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाएं, जिसमें सभी अखबार, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया व न्यूज वेबसाइट के पत्रकार शामिल हों। डी यू जे ने मजीठिया वेतन बोर्ड के तुरन्त क्रियान्वयन के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। डी यू जे ने यह भी घोषणा की कि प्रैस को एकजुट करने तथा प्रैस की आजादी की सुरक्षा के लिए संयुक्त कार्यवाही करने के लिए जनजागृति अभियान चलाए जाने चाहिए। पत्रकारों और प्रैसकर्मियों से कहा गया है कि शीतकालीन सत्र में होने वाले संसद मार्च में भाग लें, जिसमें पत्रकारों की मांगों पर सरकार का ध्यान खींचा जाएगा। इन मांगों में हिंसक हमलों से पीड़ित पत्रकारों व राहत देने और समाचार उद्योग की अनुचित श्रम नीतियों पर कार्यवाही करना भी शामिल है। मीटिंग में प्रमुख अखबारों व समाचार संस्थाओं में बड़े पैमाने पर हो रही छंटनी और फ्री लांस पत्रकारों की समस्याओं पर भी चर्चा की गई, जिनमें से कई तो बहुत कम कीमत पर अपनी सेवाएं देते हैं वहीं कई फ्री लांस पत्रकारों को तो महीनों तक भुगतान ही नहीं मिलता है। जनता को जागरूक करने और सभी दलों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से समर्थन जुटाने के लिए सांसदों व विधायकों को अगले कुछ सप्ताहों में खुले पत्र भेजने की घोषणा की गई तथा प्रैस की आजादी व प्रैस कर्मियों के लिए न्यास संबंधी मुद्दों पर समाज में आम सहमति पैदा करने पर भी जोर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुजरात के दो पुलिस अफसरों ने दिया इस्तीफा

नई दिल्ली। गुजरात पुलिस के दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों एन.के. अमीन और तरुण बारोट ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। अमीन सोहराबुद्दीन और इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में, जबकि बारोट इशरत जहां और सादिक जमाल फर्जी मुठभेड़ मामलों में आरोपी थे।

एन.के. अमीन पिछले साल अगस्त में पुलिस अधीक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए थे और एक साल के अनुबंध पर उन्हें पुनः सेवा में लिया गया था। वर्तमान में वह तापी जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। इसी तरह तरुण बारोट को भी सेवानिवृत्ति के दो साल बाद पिछले साल अक्टूबर में एक साल के अनुबंध पर पुनः सेवा में लिया गया था। वर्तमान में वह पश्चिम रेलवे में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में वड़ोदरा में तैनात थे। पूर्व आइपीएस अधिकारी राहुल शर्मा ने दोनों अधिकारियों की पुनः नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस जे.एस. खेहर और जस्टिस डी.वाई. चन्द्रचूड़ ने याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों पुलिस अधिकारियों को गुरुवार को ही पद छोड़ने के निर्देश दिए और इसके साथ ही याचिका का निपटारा कर दिया। अमीन और बारोट दोनों ने ही वकील के माध्यम से शीर्ष अदालत के समक्ष इस आशय का पत्र दाखिल किया था। इस्तीफा भेजने के बाद एन.के. अमीन ने बताया कि उन्होंने और बारोट ने प्रदेश सरकार को शर्मिन्दगी से बचाने के लिए ऐसा किया है। बारोट ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पद त्याग करने के लिए कह दिया तो उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। बता दें कि 2007 में गिरफ्तारी के बाद एन.के. अमीन आठ साल जेल में रह चुके हैं। उन्हें सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले से तो बरी किया जा चुका है। लेकिन, इशरत जहां का मामला अभी भी अदालत के समक्ष लम्बित है। इशरत जहां मामले में मई, 2015 में जमानत मिलने के बाद राज्य सरकार ने उनका निलम्बन वापस ले लिया था और गांधीनगर स्थित राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में उपाधीक्षक के रूप में बहाल कर दिया था।

इसके बाद उन्हें माहीसागर जिले का पुलिस अधीक्षक बनाया गया। सेवानिवृत्ति के बाद 31 अगस्त, 2016 को अनुबंध के आधार पर उनकी उसी पद पर पुनः नियुक्ति की गई। लेकिन, दो विवाहित महिलाओं के उन्हें परेशान करने के आरोप के बाद दिसम्बर 2016 में सरकार ने उनका तबादला तापी जिले में कर दिया था। वहीं, तरुण बारोट के खिलाफ इशरत जहां और सादिक जमाल दोनों ही मामलों में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। उन्होंने दोनों ही मामलों में गिरफ्तार किया गया था और जून 2015 में जमानत पर रिहा किया गया।

पुरोहित ने कहा मैं राजनीतिक लड़ाई का शिकार

नई दिल्ली। वर्ष 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह राजनीतिक लड़ाई की भेंट चढ़ गए। इस सैन्य अफसर के खिलाफ कोई भी आरोप तय नहीं होने के बावजूद वह पिछले नौ वर्षों से लगातार जेल में बंद हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत मांग रहे पुरोहित के इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उन्होंने बताया कि यह सभी तथ्य बांबे हाईकोर्ट को दिखाये गये हैं, लेकिन उसका कहना है कि अभियोजन पक्ष ने यह तथ्य उनके समक्ष नहीं रखे हैं। इसलिये वह इसे क्यों देखेंगे ? साल्वे ने पुरोहित की ओर से कहा कि उन पर आरोप है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की साजिश पर उनके आरडीएक्स विस्फोटक पदार्थों की आपूर्ति करने का आरोप लगा। अब जबकि साध्वी को एनआइए ने क्लीनचिट और जमानत दे दी है, तो फिर मेरे और साध्वी के बीच कोई लिंक नहीं रह जाता है। इसलिए नौ साल जेल में बिताने के बाद कम से कम मुझे अंतरिम जमानत तो मिलनी ही चाहिए।

जस्टिस आर.के. अग्रवाल ओर जस्टिस ए.एम. सप्रे ने कहा कि वह पुरोहित की याचिका पर अपना फैसला सुनाएंगे। पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह स्वीकार किया कि वह दक्षिणपंथी संगठन अभिनव भारत की कुछ बैठकों में शामिल हुए थे। इस संगठन के सदस्यों पर मालेगांव बम धमाके की साजिश में शामिल होने के आरोप हैं। एटीएस ने अपनी चार्जशीट में कहा कि मैं अभिनव भारत की बैठकों में शामिल हुआ था। उन्होंने कहा कि यह बात सही है लेकिन ऐसा मैंने सैन्य जासूस की हैसियत से किया था। मैं अपना दायित्व निभा रहा था। उन्होंने एक सैन्य अफसर होने का फर्ज निभाया और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को संगठन की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। पुरोहत की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि उनका मुवक्किल खुद को राजनीतिक लड़ाई का मोहरा बना हुआ देखता है। वह पिछले नौ वर्षों से जेल में बंद है।

ये एक सोचा-समझा पागलपन है!

वेद व्यास

- भगवान की कृपा से और जनता के भाग्य से आजकल भारत में भय और हिंसा का माहौल है। जो काम राजा नहीं करता वह काम अब प्रजा कर रही है। हिंसा की आदिमकालीन शैली के अनुसार अब लोकतंत्र में भीड़ की हिंसा इधर-उधर फैल रही है। जून 2014 से लेकर आज तक कोई 50 लोगों की जान 11 राज्यों में जा चुकीहै। हत्यारे जमानत पर आजाद हैं और कानून अपना काम कर रहा है। केन्द्र सरकार कहती है कि कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों की है तो सरकार कहती है कि हमने हत्या की जांच के लिये विशेष पुलिस दल गठित कर दिये हैं। आनन्द की बात ये है कि मरने वाले सभी निर्दोष एक धर्म के हैं तो मारने वाले सभी दूसरे धर्म के हैं। पहले मैंने अपने बचपन में ऐसी हिंसा भारत-पाकिस्तान के विभाजन को लेकर देखी थी और या फिर अब गौ माता की रक्षा के नाम पर देख रहा हूं।
- लगता है जैसे चोर-चोर सभी मौसेरे भाई हो गये हैं। हमारे प्रधानमंत्री रात-दिन विकास और भारत के गौरव की धुन बजा रहे हैं तो उनके स्वयं सेवक हिंसा के परचम लहरा रहे हैं। आश्चर्यजनक सत्य ये है कि भीड़ की हिंसा सबसे अधिक भाजपा शासित राज्यों में हो रही है और सभी हत्यारे कानून-कायदे ताक में रख कर देश में दहशत और पलायन का नया रामराज्य ला रहे हैं। दुर्भाग्य से अच्छे दिन कुछ इस तरह से आये हैं कि हत्यारों पर एक नशा सवार है और वे एक सोचे-समझे पागलपन में हमारे आसपास घूम रहे हैं। हत्याओं के एक चश्मदीद बता रहे हैं कि भीड़ ने मेरे भाई को पीठे से पकड़ा और उसकी गरदन, छाती और पेट में चाकू घोंप दिया। एक दूसरा चश्मदीद कहा रहा है कि जब हत्यारे मेरे पिता को लोहे के सरियों से पीट रहे थे तब कई लोग इसका वीडियो बना रहे थे और एक हत्यारा तो मेरे पिता की लटकी हुई गरदन को कैमरे की ओर मोड़ रहा था। इसी तरह एक तीसरा चश्मदीद बयान दे रहा है कि उसके हाथ-पैर काट दिये गये और कोई उसे पीने को पानी तक नहीं दे रहा था। एक लेखक के नाते ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपने भीतर और 133 करोड़ देवी-देवताओं के देश में जबरदस्त चौंकाने वाली हिंसक भीड़ का ऐसा खूनी ताण्डव देख रहा हूं और अब्राहमलिंकन, महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी की शहादत को बार-बार पढ़ रहा हूं।
- इतिहास में खून-खराबे का ये उन्माद सदियों से धर्म और जाति प्रधान रहा है लेकिन किसी लोकतंत्र में भीड़ की हिंसा का ये नया भारत अद्भुत और अतुल्य है क्योंकि यहां एक मतदाता ही दूसरे मतदाता को मार रहा है। तो एक भाई अपने हाथ से ही दूसरे भाई के खून से अपने हाथ रंग रहा है। मैं ये कहकर अब चुप नहीं रह सकता कि इस महान भारत में कोई 3 हजार साल से धर्म गौरव के नाम पर ये खून बहाया जा रहा है और आज ये हिंसा कोई नई बात नहीं है।
- हमारा कहना ये है कि हम 21वीं शताब्दी तक विकास यात्रा के बाद भी आखिर कब तक धर्म-सम्प्रदाय के नाम पर लड़ते-मरते रहेंगे? और गाय, गीता और गंगा के गौरव की दुहाई देकर इस लोकतंत्र को नष्ट करते रहेंगे? क्या हम हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई बनकर एक भारत और श्रेष्ठ भारत बना रह सकेंगे? और क्या हम लोकतंत्र में किसी हिटलर की तरह हमारी तानाशाही से सबका साथ-सबका विकास कर सकेंगे? और क्या भारत को दूसरा हिन्दू-पाकिस्तान बना सकेंगे? यदि भारत का विकल्प विकास है तो फिर लोकतंत्र का विकल्प भी अकेला हिन्दुत्ववादी राष्ट्रवाद ही कैसे हो सकेगा?
- हम इतिहास की एक भूल को इतिहास की दूसरी भूल से नहीं मिटा सकते और एक आग को किसी दूसरी आग से नहीं बुझा सकते। हम जानते हैं कि जब विकास और परिवर्तन के सभी सामाजिक-आर्थिक प्रयास विफल हो जाते हैं तब जनता में असंतोष बढ़ता है और तब शासन व्यवस्था में दमन, अत्याचार और निरंकुशता बढ़ती है। आज भारत में यही हो रहा है कि गरीबी, अशिक्षा और अज्ञान के अंधेरे में राज्य प्रेरित धर्म और आस्था की मशाल जलाई जा रही है तो कथनी और करनी के अंतर की हिंसक महाभारत पुनः दोहराई जा रही है। एक लेखक के नाते हमारा विश्वास है कि धर्म तभी सनातन रहता है जब वह मानवता और सहिष्णुता से प्रेरित होता है क्योंकि रामकथा से लेकर गांधी कथा तक ये भारत सत्य और अहिंसा को ही दोहरा कर जिन्दा है तथा सूर, कबीर, तुलसी, नानक, रैदास और तुकाराम को गा कर ही लोकतंत्र बना है।
- हमें दुख है और आक्रोश है कि हम कभी क्या थे और आज क्या हो गये हैं तथा और आगे क्या होंगे क्योंकि जब बाड़ ही खेत को खा रही है तो फिर एक भारतमाता के घर-परिवार का क्या होगा? जो लोग बहुसंख्यक होकर केवल अल्पसंख्यक को भारत के लोकतंत्र में दूसरी श्रेणी का नागरिक बनाने की धर्म प्रधान हिंसक राजनीति फैला रहे हैं उन्हें ये भी याद रखना चाहिए कि धर्म और आस्था तो जीवन नैया की पतवार है तथा कोई तलवार नहीं। एक नफरत किसी दूसरी नफरत का इलाज नहीं है। अतः नाव को डुबोने से पहले सोचिये कि यदि हम पहले कभी गुलाम थे तो आज फिर आजाद कैसे हैं और आज यदि आजाद है तो फिर आगे दोबारा गुलाम क्यों बन रहे हैं। अतः ये हिंसा और भीड़ का धर्म उन्माद भारत के लिये केवल एक शर्मनाक समर होगा।

प्रोन्नति में आरक्षण नहीं : हाई कोर्ट

इलाहाबाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जनता इंटर कॉलेज अमरोहा के अर्थशास्त्र प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति में आरक्षण देने के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन केस में दिए गए फैसले के तहत प्रोन्नति में आरक्षण अवैध घोषित कर चुका है।

साथ ही हाई कोर्ट की पूर्णपीठ ने हीरालाल केस के फैसले में स्पष्ट किया है कि एससी/एसटी को पांच पद रिक्त होने पर आरक्षण दिया जा सकता है। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंडलीय समिति को चार हफ्ते में नियमानुसार प्रोन्नति पर योग्य अभ्यर्थियों को अवसर देते हुए विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन की खंडपीठ ने प्रवक्ता तेज सिंह की विशेष अपील व याचिका को निरस्त करते हुए दिया है। याचिका पर अधीवक्ता प्रभाकर अवस्थी का कहना था कि याची से दो वरिष्ठ अध्यापक प्रोन्नत होने तक सेवानिवृत्त हो चुके थे। ऐसे में याची को प्रोन्नति देने में कोई तकनीकी गलती नहीं है। याची को एससी कोटे में प्रोन्नति दे दी गई थी, जिसे रद्द करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। एकल पीठ द्वारा हस्तक्षेप न करने पर अपील दाखिल की गई थी। कोर्ट ने उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा नियमानुसार कार्यवाही करने का आदेश दिया है।

एनजीओ के नियमन के लिए बनाया जा रहा है कानून

नई दिल्ली। देशभर में एनजीओ की गतिविधियों का नियमन करने के लिए कानून तैयार किया जा रहा है। केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एनजीओ नियमन कानून के साथ ही नीतिगत फैसला लेने की प्रक्रिया चल रही है। मुख्य न्यायाधीश के.एस. खेहर और जस्टिस डी.वाई. चन्द्रचूड़ की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बयान पर विचार करने के बाद अगली सुनवाई तय कर दी। पीठ ने कहा कि इसकी पूरी संभावना है कि केन्द्र इस मुद्दे पर कानून लाने जा रहा है। मेहता ने सरकार के संभावित कदमों के बारे में संतुष्ट करने के लिए और समय की मांग की। एनजीओ की गतिविधियों का नियमन करने के लिए सरकार क्या कदम उठा सकती है इससे वह अदालत को अवगत कराना चाहते हैं। शीर्ष अदालत में अधिवक्ता एम.एल. शर्मा ने याचिका दायर कर वित्तीय सहित एनजीओ की गतिविधियों के नियमन के बारे में जानकारी मांगी है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने केन्द्र सरकार के निकाय कपार्ट से उठाए जा रहे अपने कदमों के बारे में बताने को कहा था। अदालत ने अपने निर्देश के मुताबिक उठाए कदमों की जानकारी मांगी थी। शीर्ष अदालत ने एनजीओ के नियमन, कोष वितरण और उनके खिलाफ उचित प्रक्रिया के लिए कानून तैयार करने पर विचार करने का निर्देश दिया था।

पद्म पुरस्कार के लिए कोई भी व्यक्ति किसी के नाम की अनुशंसा कर सकेगा

नई दिल्ली। विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिए जाने वाले शीर्ष नागरिक सम्मान 'पद्म पुरस्कार' के लिए कोई भी व्यक्ति किसी के भी नाम की अनुशंसा कर सकेगा। गृह मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी बयान में यह जानकारी देते हुए बताया गया है कि साल 2018 के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार के आवेदन की समय सीमा 15 सितम्बर है। सरकार द्वारा समाज के ऐसे अनसुने लोगों को पद्म पुरस्कारों से नवाजने की योजना है, जिनके श्रेष्ठ कामों की पहचान क्षेत्र विशेष तक सीमित है। गृह मंत्रालय द्वारा पद्म पुरस्कारों के नामांकन और अनुमोदन के लिए विशेष रूप से तैयार वेबसाइट पर ऑनलाइन अनुशंसा करना अनिवार्य है।

कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, लोकसेवा और उद्योग व व्यापार के क्षेत्र में विशेष योगदान और उपलब्धियों के लिए पद्म पुरस्कार दिया जाता है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए कोई भी व्यक्ति किसी के भी नाम की अनुशंसा कर सकता है। इसका मकसद लोगों को समाज में कार्यरत गुमनाम हीरो का नाम आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी गुरुवार को यह कहा था कि अतीत में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मंत्रियों और राजनेताओं की सिफारिश पर दिए जाते थे, लेकिन अब उनकी सरकार ने किसी को भी किसी के नाम का अनुमोदन करने का रास्ता खोल दिया है। मोदी ने नीति आयोग के एक कार्यक्रम में कहा कि ऐसे कई गुमनाम हीरो हैं, जिन्होंने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे अनेक उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पाने के हकदार हैं। तीन श्रेणियों वाले पद्म पुरस्कारों (पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री) की हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषणा की जाती है।

जांच अधिकारी कर रहे हैं एसओजी की छवि को खराब

जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने भरतपुर के सेवर थाना इलाके में हुई हत्या को आत्महत्या का रूप देने के मामले में हुई लचर जांच पर एसओजी के आईजी दिनेश एमएन को कहा कि ऐसे जांच अधिकारी के चलते ही एसओजी की छवि खराब हो रही है। इसके साथ ही अदालत ने प्रकरण की नए सिरे से जांच खुद के निर्देशन में कराने के आदेश देते हुए दो माह में जांच पूरी करने को कहा है। अदालत ने निचली अदालत ठके कहा है कि तब तक वह प्रकरण में कोई प्रभावी आदेश पारित न करे।

न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश मृतक की नाबालिग पुत्री की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान आईजी दिनेशन एमएन अदालत में पेश हुए। अदालत ने उनसे पूछा कि क्या वे जांच से संतुष्ट हैं औँर क्यों न प्रकरण को सीबीआई को भेज दिया जाए। अदालत ने फांसी के फंदे की फोटो देकर आईजी से सवाल किया कि इतनी ऊंचाई से यदि कोई लटकेगा तो दोनों सिरों से रस्सी खिंचेगी, फिर यहां रस्सी ढीली कैसे रह गई। जिसका आईजी कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे सके। अदालत ने यह भी कहा कि जिस परिसर में आत्महत्या होना बताया जा रहा है उसे भी तोड़ दिया गया, लेकिन जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में उसका जिक्र नहीं किया। इसके साथ ही अदालत ने प्रकरण की नए सिरे से दो माह में जांच पूरी करने के आदेश दिए। याचिका में अधीवक्ता अनुरूप सिंघी ने बताया कि याचिकाकर्ता से कुछ लोगों ने छेड़छाड़ करने के बाद उसके पिता तेजपाल की अक्टूबर 2014 में हत्या कर दी थी। इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को पंखे से लटका दिया। याचिका में कहा गया कि पंखे पर लटके शव के दोनों पांव घुटने से मुड़कर फर्श पर टिके हुए हैं। ऐसे में यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केवल पोक्सो अधिनियम में आरोप पत्र पेश किया है। इसलिए मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आईजी दिनेश एमएन को पेश होने के आदेश दिए थे।

भ्रष्ट अफसरों पर करें विभागीय कार्रवाई के सम्बन्ध में विचार

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कार्मिक विभाग को कहा है कि वह भ्रष्टाचार के मामले में ट्रायल का सामना कर रहे सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के सम्बन्ध में विचार करे।

इसके साथ ही अदालत ने कार्मिक विभाग के सम्बन्धित अधिकारी को तीस अगस्त को पेश होकर इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराने को कहा है। न्यायाधीश बनवारीलाल शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश अर्जुन लाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आया कि भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार हुए कर्मचारी के खिलाफ केवल एसीबी कोर्ट में मुकदमा ही चलाया जाता है। इस पर अदालत ने कार्मिक सचिव को पेश होने के आदेश दिए। अदालती आदेश की पालना में आईएएस संजय मल्होत्रा अदालत में पेश हुए। उनकी ओर से सरकारी अधिवक्ता सुदेश जैनी ने बताया कि कार्मिक विभाग ने अगस्त 2001 में सर्कुलर जारी कर विभागाध्यक्षों को ऐसे प्रकरणों में विभागीय कार्रवाई करने को कहा है। विभागाध्यक्ष मुकदमा लंबित रहने के दौरान कार्रवाई नहीं करते। क्योंकि इसके चलते ट्रायल प्रभावित हो सकती है। मल्होत्रा की ओर से कहा गया कि अदालत की मंशा को ध्यान में रखते हुए विभाग की ओर से इस संबंध में जल्दी ही सर्कुलर जारी किया जाएगा। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने भ्रष्ट अफसरों पर विभागीय कार्रवाई भी करने का विचार करने के आदेश देते हुए तीस अगस्त को कार्मिक विभाग के संबंधित अधिकारी को पेश होने के आदेश दिए हैं।

भारतीय पुलिस संस्कृति में भ्रष्टाचार की जड़ें

(गतांक का शेष)

इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं कि वे पुलिस थाने जिनके पास बड़े बाज़ार, व्यापारिक केंद्र, उद्योग या परिवहन केंद्र हों उनकी मांग ज्यादा रहती है। (आनंदन)एक पुलिस अधिकारी जो मेरे सहपाठी रह चुके हैं उन्होंने भी इस बात की पुष्टि करते हुए मुझे बताया था कि छोटी जगह छोटी छोटी रिश्वत लेते हुए बदनाम होने से अच्छा है किसी बड़े शहर में हों ताकि एक दो सम्पति के मामलों में ही काफी सारा माल कूट लें। ऐसा माना जाता है कि ऐसे स्थानों पर कुछ महीने रहने मात्र से ही इतना धन कमाया जा सकता है जितना कि वे अपने सम्पूर्ण सेवा काल में वेतन ले सकते हैं। एक अन्य कार्मिक ने भी यह कहा कि प्रशासन व पुलिस की नौकरी 5 साल कर ली जाए तो फिर पूरी जिन्दगी कमाने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती है। वास्तव में दिल्ली के चांदनी चौक, मुंबई के ज्वेलरी बाज़ार या कलकत्ता के नया बाजार जहां पर कि बड़े व्यापरिक केंद्र हैं पुलिस के मुखिया द्वारा सीधे नियंत्रित होते हैं। ज्ञात हुआ है कि पुलिस विभाग में ऐसे सभी पदस्थापन मंत्रियों की इच्छा से होते हैं क्योंकि यहाँ प्रतिदिन ही सैंकड़ों हजारों रुपयों की वसूली होती है जिसमें ऊपर तक हिस्सा पहुंचता है। व्यापार संगठन अपने सदस्यों से हफ्ता (प्रोटेक्शन मनी) वसूली करके सीधे यह रकम पुलिस, राजस्व व प्रशासनिक अधिकरियों तक नियमित पहुंचाते रहते हैं और इसमें वे गर्व महसूस करते हैं। लगभग 100 करोड़ रूपये की हैसियत वाले एक उद्यमी से वार्ता में उसने मुझे बताया था कि वह छोटे उद्यमियों से वसूली करके बड़े अधिकारियों तक पहुंचाते हैं और वे कभी भी उनके कार्यालय नहीं जाते अपितु या तो उनके घर मिलने जाते हैं या फिर वे अधिकारी स्वयं ही उनके घर समय-समय पर मिलने आते हैं। मुझे इस बात पर ताज्जुब हुआ कि वे इस दलाली के धंधे में अपने आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं।

ठीक इसी प्रकार जो पुलिस थाने कोयला खदानों, बड़े औद्योगिक काम्प्लेक्स, हाईवे या सीमा चेक पोस्ट पर स्थित हों वे भी समान रूप से कुख्यात होते हैं। ऐसे पदों पर स्थापना भी पुलिस मुखिया सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारीयों के लिए वरदान होते हैं जो कि इन थानों के प्रभारी लगाने के लिए निर्णय करते हैं। मामले में अनुसन्धान, संदिग्ध को गिरफ्तार करना, आरोप पत्र प्रस्तुत करना या बकाया मामले को बंद करना वे प्रक्रियाएं हैं जो कि सामान्यतया धनबल से प्रभावित होते हैं। जब नडियाद (गुजरात) में मजिस्ट्रेट को जबरदस्ती शराब पिलाकर पुलिस उसका सार्वजनिक जुलूस निकाल सकती है तो फिर विधायिका द्वारा निर्मित कानून तो पुलिस के डंडे में रहता है। आपराधिक घटना दर्ज करवाने के लिए नागरिकों को पुलिस थाने जाना पड़ता है। प्रभारी पुलिस थाना के लिए नागरिक की शिकायत दर्ज करने हेतु धन की मांग सामान्य बात है और यदि किसी को संदिग्ध आरोपी बनाना है तो फिर यह मांग और ज्यादा बलवती होती है। और उससे भी आगे मात्र मामला दर्ज करवाने हेतु ही नहीं बल्कि जब भी पुलिस अधिकारी जांच-पड़ताल के लिए आयें तो उनके सत्कार में भी काफी खर्च करना पड़ता है। मेरा भी यह अनुभव रहा है की मुझ पर दर्ज एक झूठे मामले में जांच अधिकारी ने गाड़ी का किराया मांगा था। मेरा विश्वास है कि बिना पैसे के पुलिस शायद ही कोई काम करती है। यहाँ तक कि नयी नौकरी के लिए चरित्र सत्यापन, पास पोर्ट के लिए सत्यापन जैसे काम भी बिना पैसे के नहीं करती। एक बार तो इसकी हद देखने को मिली जब नोटिस तामिलकर्ता पुलिसिये ने अभियुक्त पर नोटिस तामिल करने के लिए स्वयं अभियुक्त से ही पैसे मांग लिए। जो कोई पुलिस के इस व्यवहार की शिकायत करे उसे किसी झूठे मुकदमे में फंसाकर गिरफ्तार करके हिसाब बराबर कर लिया जाता है क्योंकि पुलिस को यह विश्वास है देश के न्यायालय उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते, वे चाहे जो मर्जी करें। राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है और न्यायालय में उन्हें पेश करने से पहले झूठे दस्तावेज और बरामदगी का इंतजाम किया जाता है। ऐसे लोगों को बाद में उच्च पदों पर पदोन्नति, सेवानिवृत पश्चात् लाभ व पुनर्नियुक्ति तथा पार्टी टिकट पर चुनाव लड़वाने के उपकार किये जाते हैं।

परिवादी को वाहन व्यय सहित अनुसन्धान के खर्चे वहन करने पड़ते हैं। बाद में जांच, अभियुक्तों की गिरफ्तारी, न्यायालय में अभियोजन के अतिरिक्त खर्चे भी परिवादी को ही वहन करने पड़ते हैं यदि वह मामले को चलाना चाहता है (नंदा, 1998)। यहाँ तक कि सरकारी कंपनी से भी वे वसूली से नहीं चूकते। देखा गया है कि एक बड़ी सरकारी औद्योगिक कंपनी के खर्चे पर पुलिसवाले अपने वाहन की मरम्मत करवाते थे। यदि वह कंपनी ऐसा नहीं करती तो उसे आवश्यकता पड़ने पर कोई मदद उपलब्ध नहीं करवाई जाती। ऐसा नहीं है कि अनुसन्धान अधिकारी के कार्य का पर्यवेक्षण करने के कोई नियम या प्रक्रिया नहीं है किन्तु पर्यवेक्षण भी एक खरीद फरोख्त का मुद्दा है। धन बल पर मामलों में मन चाहे अनुसन्धान अधिकारी से अनुसन्धान के आदेश प्राप्त किया जा सकता हैं और बारबार अनुसन्धान बदलकर मामले को लंबा खेंचा जा सकता है।

पुलिस महानिदेशक और स्वयं गृह मंत्री के स्तर तक यह सूत्र कामयाब पाया गया है। बड़े पुलिस अधिकारी मात्र यह कहकर जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि उनके पास काफी अनुसन्धान अधिकारी हैं इसलिए वे स्थिति पर नियंत्रण नहीं रख सकते जबकि उनका यह कथन बिल्कुल खोखला है। यदि नमूने के तौर पर भी अनुसंधान पर स्वत: निगरानी रखी जाए और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए तो स्थिति में पर्याप्त सुधार हो सकता है। देश के रिज़र्व बैंक में भी बड़ी मात्रा में नोटों का भण्डार होता है किन्तु नमूना जांच प्रणाली से वे इस पर प्रभावी नियंत्रण रखते हैं। यदि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने कनिष्ठ के 1 प्रतिशत कार्यों का भी प्रभावी पर्यवेक्षण करें तो स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है किन्तु कनिष्ठ तो उनके कमाऊ पूत होते हैं इसलिए वे ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। निरीक्षण केवल तभी प्रभावी होता है जब अचानक किया जावे किन्तु आजकल ज्यादातर निरीक्षण पूर्व सूचित होते हैं और वसूली में हिस्सा लेने तथा आतिथ्य ग्रहण की रस्म अदायगी मात्र होते हैं। प्रशिक्षण के अभाव का बहाना भी बिलकुल बनावटी है क्योंकि उन्हें रिश्वत लेने की कहीं शासकीय ट्रेनिंग नहीं होती फिर भी इच्छाशक्ति होने पर वे यह काम बिना ट्रेनिंग के ही बखूबी कर लेते हैं। शादी से पूर्व गृहस्थी का कोई प्रशिक्षण नहीं होने पर भी आवश्यकतानुसार सभी सीख जाते हैं। पुलिसवाले सामने वाले की औकात देखकर ही व्यवहार करते हैं जो पुलिसवाले थानों गलियों की बौछार करते हैं उन्हें एयरपोर्ट्स पर बिलकुल शालीन ढंग से पेश आते देखा गया है।

एक सामान्य प्रचलित परम्परा है कि मामले दर्ज नहीं किये जाएँ और अपराध के आंकड़ों का सरकारी रिकार्ड नीचा रखा जाए। (सक्सेना : 1987 : वर्मा 1993) किसी मामले को न्यायालय में भेजने का निर्णय अधीक्षक का होता है और अभियोजन अधिकारी का इस पर बहुत कम नियंत्रण होता है। यह औपनिवेशिक परम्परा रही कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ब्रिटिश लोग हुआ करते थे और सरकारी वकील राज्यों द्वारा नियुक्त भारतीय वकील हुआ करते थे।

(शेष अगले अंक में)

खरी-खरी

पारदर्शिता जनता का संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार

डॉ. मानचन्द खण्डेला 9462817770
E mail :
manchandkhandela.@gmail.com

भारतीय संविधान में सार्वभौमिक शक्ति नागरिकों के पास है तथा जो जनप्रतिनिधि उसके द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं वे तो उसकी सेवा के लिये होते हैं। इसलिए जन प्रतिनिधियों एवं नौकरशाहों को पब्लिक सर्वेन्ट (लोक सेवक) कहा जाता है। अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने फैसले में ऐसा स्पष्ट ही कर दिया है। अब जन प्रतिनिधि सरकारी कर्मचारियों की तरह अपने दायित्व, कर्त्तव्य एवं जवादेही से किसी भी तरह बच नहीं सकते हैं क्योंकि वे सरकारी खजाने से वेतन, भत्तों, सुविधाओं, वरीयताओं तथा सेवानिवृत्ति लाभों के रूप में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। अब वे अच्छा-अच्छा गप और बुरा-बुरा थू की नीति पर नहीं चह सकते हैं। यहां तक कि मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद एवं विधायक सहित किसी भी प्रकार का जन प्रतिनिधि रहते हुए उसे जो उपहार मिलते हैं उन पर भी सरकार का ही अधिकार होता है। इसलिये इनके द्वारा कार्यमुक्ति के बाद इनको लौटाना किसी आदर्श या अहसान की बात नहीं होती जैसा कि प्रचार किया जाता है, बल्कि दायित्व होता है। इसीलिए उनसे हर प्रकार के स्वविवेकाधिकार वापस लेने की मांग भी तर्कपूर्ण है।

इनका सबसे बड़ा दायित्व निष्पक्षता, सम्पूर्ण समर्पण, समभाव एवं संवेदनशीलता के साथ काम करना जरूरी है। यह उनका संवैधानिक एवं कानूनी दायित्व है। जिसके लिये जनता को उनसे विनय करने की नहीं बल्कि आदेश देने की जरूरत है। इस सबके लिये पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तब ही इन पब्लिक सर्वेन्ट्स पर जनता का अधिकार बना रह सकता है जबकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि सांसद, विधायक एवं पार्षद की निधि पर भी ये अपना व्यक्तिगत अधिकार बताते हैं कि यह निधि, कितनी, कब व किस पर किसकी मांग पर खर्च की गई उसकी पूर्णता कब हुई तथा कितने लोगों को इसका लाभ मिला। इसलिये इस निधि का प्रथमतः तो प्रति वर्ष पूरा उपयोग नहीं हो पाता तथा जो राशि खर्च की जाती है उसका दुरुपयोग ही अधिक होता है। इसके लिये जयपुर में विधायक राशि से बिना उपयोग व जनता की मांग के यहां-वहां बने लोहे के दरवाजों का उदाहरण लिया जा सकता है। जिससे सुरक्षा होने के स्थान पर इसकी आड़ में अतिक्रमण, रास्ता सकरा होने से यातायात बाधा, अंधेरे में टक्कर, सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा जैसी समस्याएं पैदा हो गई हैं। क्योंकि खर्च की गई राशि के सम्बन्ध में पारदर्शिता नहीं है। जो कि जनता का अधिकार है।

केवल इस अकेली व्यवस्था से सारे सरकारी काम त्वरित भ्रष्टाचारमुक्त और प्रभावी तरीके से हो सकते हैं। इसके बाद विकास की रफ्तार को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। यह वास्तव में पारदर्शिता का कमाल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में हो सकता है। इस व्यवस्था के बाद प्रधानमंत्री को ऐसा आह्वान नहीं करना पड़ेगा कि गुड गवर्नेंस के लिये सभी लोगों का सहयोग मिलना चाहिए। वे भी तकनीक के माध्यम से जीवन के हर क्षेत्र में क्रांति लाना चाहते हैं और यह क्रांति वास्तव में आर्थिक विकास के क्षेत्र में आ सकती है।

इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण यह है कि पारदर्शिता केवल सरकारों एवं प्रशासकों द्वारा पब्लिक के बारे में जान लेने तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि पारस्परिक हो तो फलदायी होती है। उदाहरणार्थ बैंकों की कार्य प्रणाली को लें वहां वर्तमान में यह ग्राहक को सुनने को नहीं मिलता है कि संबंधित कर्मचारी छुट्टी पर है। क्योंकि सभी कुछ आन लाइन है तथा मैनेजर से लेकर कनिष्ठ लिपिक तक खाता आपरेट किया जा सकता है तथा व्यवहार में ऐसा होता है। अब तो एक बैंक विशेष का खातेदार भारत की उसी बैंक की किसी भी शाखा में रकम निकाल व जमा करवा सकता है। यह भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में क्रान्तिकारी बदलाव संभव पारदर्शिता याने आन लाइन से ही संभव हुआ है। अब तो मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से व्यक्ति याने बैंक का ग्राहक संबंधि शाखा कर्मचारियों की महीनों शक्ल देखे बिना ही करोड़ों के लेन-देन कर सकता है। भारतीय पोस्ट ऑफिस कुछ ही वर्षों पूर्व तक अत्यधिक दकियानुसी माना जाता रहा है। अब वह पारदर्शिता के कारण ही बैंकों का रूप ले चुका है। एलएससी आदि की राशि के लिये व्यक्तिशः जाने की जरूरत नहीं रही है। आश्चर्य तो यह है कि अब कुछ विशेष अवसरों जैसे रक्षाबंधन की डाक देते समय मोबाइल से हस्ताक्षर लिए जाने लगे हैं। अब तो आवासन मंडल विकास प्राधिकरण, रजिस्ट्रेशन, कर भुगतान आदि सभी महत्वपूर्ण काम पारदर्शिता को अपनाने के कारण आन लाइन होने लगा है। इससे सरकारी आय में कई गुणा बढ़ोतरी स्वतः हो रही है।

सरकारों की पारदर्शिता को सामान्यतः राजनीति से जोड़ा जाता है। जबकि यह वास्तव में आर्थिक मुद्दा है। जो सीधे रूप में गुड गवर्नेंस से जुड़ा है और गुड गवर्नेंस स्पष्टतः विकास और उसके वितरण से जुड़ा है। अगर हमारी प्रत्येक आर्थिक गतिविधि में सम्पूर्ण पारदर्शिता व्यवहार में हो जाये तो जीडीपी में बिना कुछ अतिरिक्त प्रयास किये न्यूनतम दो प्रतिशत वृद्धि हो सकती है। साथ ही विकास का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। पारदर्शिता का सीधा सा मतलब है कि सरकारों की आय-व्यय, परियोजनाओं की क्रियान्विति, उनके वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन, दोषी अधिकारियों के कारनामों, आवंटित राशि के उपयोग की स्पष्टता, दोषियों के विरुद्ध सरकारी कार्रवाई आदि के बारे में सब कुछ आम जनता को पूर्ण रूप से जानकारी मिलते रहने की व्यवस्था हो जाये तो भ्रष्टाचार, अनियमितता, भाई-भतीजावाद, नकली सामान के उपयोग, झूठे बिलों की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित स्वतः ही हो सकता है। यह व्यवस्था सूचना के अधिकार के तहत नहीं यथासंभव स्वतः प्रक्रिया के अन्तर्गत होना चाहिए।

भारत में विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा नौकरशाही जिसे लालफीताशाही भी कहते हैं की है। मतलब साफ है कि प्रक्रिया की पारदर्शिता के अभाव में ही एकल खिड़की की व्यवस्था के बावजूद उद्योग स्थापित करने, सरकारी परियोजना को पूर्ण करने, खनन आदि की इजाजत लेने जैसे कार्यों हेतु खिड़की-खिड़की भागना पड़ता है। क्योंकि संबंधित पक्ष को जब चाहे तब यह पता चल ही नहीं सकता है कि उसकी कौनसी फाइल कहां, क्यों, कब से अटकी हुई है। पोस्ट ऑफिस की स्पीड पोस्ट महंगी होते हुए भी बड़ी कोरियर कंपनियों के मुकाबले ज्यादा लोकप्रिय होने का अकेले कारण यही है कि पोस्ट जमा करवाने से लेकर उसके गन्तव्य तक पहुंचने तक संबंधित व्यक्ति उसे पीछा करता रह सकते हैं याने उन्हें हर स्टेज की प्रगति का पता घर बैठे लगता रहता है। ऐसी व्यवस्था यदि सरकार से काम करवाने वाले व्यक्ति के पास उपलब्ध करवा दी जाये, जिस पर कुछ भी खर्च विशेष रूप से नहीं करना। बस उसे केवल बार कोड व्यवस्था से जोड़ना है। बात यहां सरकार की मंशा, वास्तविकता और प्रतिबद्धता की है। जब पोस्ट ऑफिस लाखों लोगों के सम्बन्ध में यह सफलता से कर सकता है। जब पारदर्शिता की सार्थक व्यस्था हो। अभी तक की व्यवस्था के अनुसार तो इस अधिकार का उपयोग करने के लिये तो दफ्तर ही जाना पड़ता है। जहां संबंधित कर्मचारी अपवादस्वरूप ही मिलता है। सरकार बड़ी आसानी से आन लाइन ऐसी व्यवस्था लागू कर सकती है जिससे कर्मचारी के मुवमेंट की पूरी जानकारी नागरिक को मिल सकती है। जिससे कर्मचारी के अपने स्थान पर नहीं पाये जाने पर एप के माध्यम से आन लाइन ही उच्च अधिकारी से शिकायत की जा सकती है। यह व्यवस्था हर स्तर पर की दी जाये तो कार्यक्षमता याने उत्पादकता बढ़ने के साथ ही आने-जाने पर करोड़ श्रम दिवसों की तथा पेट्रोलियम पदार्थों की बचत की जा सकती है। अभी तक सरकारी दफ्तरों में भीड़भाड़ होने का कारण फाइल नहीं मिलने का होता है। इस कारण से राष्ट्र की कितनी हानि होती है, विकास को ठेस पहुंचती है। इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब से सब्सिडी वाली व्यवस्था को पारदर्शी या डिजिटल किया है बहुत से वास्तविक फर्जी लोग इससे दूर हो गये हैं। इसी प्रकार सरकार ने जहां भी आन लाइन टेण्डरिंग की प्रक्रिया लागू कर दी है वहां फर्जीवाड़े की संभावनाएं कम हुई हैं। इसी प्रकार सरकार की हर परियोजना को लागू करने की भी प्रक्रिया को पारदर्शी बना दिया जाये तो उसी राशि में अधिक अच्छे परिणाम निकाले जा सकते हैं क्योंकि इससे क्रियान्वयन प्रक्रिया में सम्बन्धित अधिकारी के दायित्वों, कारगुजारियों, अनियमितताओं, विलम्ब के कारणों आदि को आमजन हर समय जान सकता है तथा उसकी शिकायत भी कर सकता है। तो स्वाभाविक रूप से जवाबदेही बढ़ती है। हमारे यहां प्रोफेशनल्स, कच्चे माल, प्रभावी मांग, अथाह श्रम शक्ति विविधतापूर्ण सम्पदा स्थिर सरकारें, जनतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था होने के बावजूद विकसित देशों की तुलना में कम विकास होने का सबसे प्रमुख कारण नौकरशाही का हस्तक्षेप रहा है। जिसका कारण अपारदर्शितापूर्ण प्रशासन ही है।

भारत में ही जब सेबी जैसी संस्था जहां प्रतिदिन दस-बीस लाख करोड़ रुपयों के लेन-देन पर पुख्ता नजर रखी जाती है सब कुछ पारदर्शी हो सकता है और विश्व स्तर पर उसका लोहा माना जाता हो तो आर्थिक विकास के सबसे ताकतवर हथियार पारदर्शिता ही जिसका माध्यम है आन लाइन सरकार के हर कार्य पर लागू क्यों नहीं किया जा सकता है जिसके लागू करने पर हींग लगे न फिटकरी रंग अच्छा की कहावत को चरितार्थ किया जा सकता है। जनता को पारदर्शिता की मांग अधिकारपूर्वक उठानी चाहिए। इससे बिना अतिरिक्त लागत के ही वांछित उद्देश्यों की पूर्ति की और करवाई जा सकती है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जयललिता की मौत की जांच के आदेश दिये

मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने कहा कि जांच के लिए हाईकोर्ट के पूर्व जज के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया जायेगा

चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता की मौत के कारणों की जांच के लिए आयोग गठित करने की घोषणा की। इसके साथ ही जयललिता के निवास पोएस गार्डन को स्मारक बनाये जाने का भी एलान किया गया।

इन घोषणाओं से अन्नाद्रमुक के दोनों धड़ों के विलय की संभावना बढ़ गई है। मुख्यमंत्री ई के पलानीस्वामी ने राज्य सचिवालय में संवाददाताओं से कहा कि जयललिता की रहस्यमय मौत की जांच के लिए एक आयोग गठित किया जायेगा और उनके निवास पोएस गार्डन को स्मारक में तब्दील किया जायेगा। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने बताया कि उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त एक न्यायाधीश के नेतृत्व में जांच आयोग काम करेगा। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश के नाम के बारे में बाद में जानकारी दी जायेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जयललिता के निवास पोएस गार्डन को स्मारक में तब्दील कर दिया जायेगा जो आम जनता के लिए खुला रहेगा।

मुख्यमंत्री की इस घोषणा से अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम के दोनों धड़ों पलानीस्वामी का अन्नाद्रमुक (अम्मा) और पूर्व मुख्यमंत्री एवं जयललिता के करीबी ओ पन्नीरसेल्वम का अन्नाद्रमुक (पुरानी तलैवी अम्मा) में विलय का रास्ता प्रशस्त हो गया है। जयललिता की मौत की न्यायिक जांच पन्नीरसेल्वम की दो मुख्य मांगों में से एक थी।

बागी गुट के पन्नीरसेल्वम की दूसरी महत्वपूर्ण मांग अन्नाद्रमुक अम्मा की महासचिव वी.के. शशिकला के परिवार के सभी सदस्यों और उनके भतीजे एवं पूर्व लोकसभा सांसद टीटीवी दिनाकरन को बाहर करने की थी। शशिकला ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में बेंगलुरु की जेल में बंद हैं। उन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण करने से कुछ घंटे पहले ही दिनाकरन को पार्टी का उप महासचिव बनाया था।

शशिकला ने दिनाकरन को उपमहासचिव नियुक्त करते हुए पार्टी की पूरी जिम्मेदारी सौंपी थी जिसके बाद इस वर्ष अप्रैल में मंत्रियों के एक समूह ने दिनाकरन को पार्टी के मामलों से अलग रखने की घोषणा की थी। अपने वक्तव्य का एक वाक्य पढ़ते हुए पलानीस्वामी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता ने अपनी नेतृत्व क्षमता का उपयोग कर अपने कार्यकाल के दौरान राज्य के लिए बेहतरीन काम किया।

पलानीस्वामी ने कहा कि खराब स्वास्थ्य के कारण जयललिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पांच दिसम्बर 2016 को उनका निधन हो गया था। उन्होंने कहा कि विभिन्न संगठनों और लोगों की ओर से जयललिता के निधन को लेकर सवाल खड़े किए जाने के बाद मीडिया में भी जयललिता के निधन को लेकर कई खबरें सामने आयी हैं।

1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच करायेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इसके मुतल्लिक दो पूर्व जजों की एक जांच समिति गठित की

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 1984 के सिख-विरोधी दंगों से जुड़े 199 मामलों को बंद कर देने के फैसले की जांच के लिए दो पूर्व न्यायाधीशों की समिति गठित की है।

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की पीठ ने कहा कि यह समिति दंगों से जुड़े उन 42 मामलों की भी जांच करेगी, जिसे बंद करने का विशेष जांच दल (एसआईटी) ने फैसला लिया है। पीठ ने स्पष्ट किया कि समिति यह तय करेगी कि जिन मामलों में एसआईटी ने क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी है वे उचित हैं या नहीं।

न्यायालय ने समिति को सभी मामलों की समीक्षा करके तीन माह के भीतर रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश दिया। अब इस मामले की सुनवाई 28 नवम्बर को होगी।

न्यायालय ने गत 24 मार्च को केन्द्र सरकार के उन 199 मामलों की फाइलें पेश करने का केन्द्र सरकार को आदेश दिया था, जिन्हें गृह मंत्रालय द्वारा गठित एसआईटी ने बंद करने का फैसला लिया था। एसआईटी का नेतृत्व 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी प्रमोद अस्थाना कर रहे हैं, जबकि सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कपूर और दिल्ली पुलिस के अधिकारी कुमार ज्ञानेश इसके सदस्य हैं।

गौरतलब है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके और अखिल भारतीय दंगा पीड़ित राहत कमेटी के अध्यक्ष जत्थेदार कुलदीप सिंह भोगल ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली राजधानी है इसलिए उसका मामला सबकी निगाह में आ गया लेकिन कानपुर में भी 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में 127 लोगों की मौत हुई थी। पूरे उत्तर प्रदेश में इन दंगों की कुल 2800 एफआईआर दर्ज हुई लेकिन ज्यादातर मामले सबूतों के अभाव में बंद कर दिये गए। उन्होंने कहा कि पीड़ित 33 वर्ष से न्याय के लिए भटक रहे हैं।

याचिका में कहा गया है कि ये मामला पुलिस और सरकारी तंत्र के अमानवीय क्रूर और लापरवाह रवैये से जुड़ा है। यहां तक कि जिस क्षेत्र में लोग कहते हैं कि यहां तो कोई मौत नहीं हुई, न ही दंगा हुआ या संपत्ति लूटी गई, आरटीआई में इन थानों से शून्य रिपोर्ट की बात कही गई है।

गोविन्द नगर और नौबस्ता पुलिस थाने के क्षेत्र में जहां ज्यादा मौतें हुई वहां के थानों से कोई रिपोर्ट नहीं उपलब्ध करवाई गई। याचिका में विशेष तौर पर बजरिया थाने में दर्ज छह एफआईआर और नजीराबाद थाने में दर्ज एक एफआईआर और दंगे के बारे में अन्य थानों में दर्ज बाकी मामलों की एसआइटी से जांच कराने की मांग की गई है।

राजीव गांधी की हत्या में प्रयुक्त बेल्ट बम के पीछे क्या थी साजिश

सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में जांच का ब्यौरा मांगा

नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में साजिश के पहलू पर सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर विचार करेगा। गुरुवार को उसने केन्द्र सरकार और सीबीआई से पूछा कि पूर्व पीएम की हत्या में इस्तेमाल बेल्ट बम बनाने के पीछे की क्या साजिश थी? उसने इस बारे में की गई जांच का ब्यौरा मांगा है। जस्टिस रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने राजीव हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे एक दोषी ए जी पेरारीवलन की याचिका पर केन्द्र और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। पेरारीवलन की ओर से पेश वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि मामले की तह तक जाने के लिए गठित न्यायमूर्ति जैन आयोग के निर्देश के बावजूद हत्याकांड में प्रयुक्त बेल्ट बम निर्माण के पीछे की साजिश की ठीक तरह से जांच नहीं की गई। इतना ही नहीं राजीव गांधी की सुरक्षा से जुड़ी फाइल के गुम होने और दिल्ली स्थित पत्रकार राजेन्द्र कुमार जैन की हत्या मामले की जांच भी सही तरीके से नहीं हुई।

इस पर पीठ ने केन्द्र और सीबीआई के वकील से पूछा कि इस बारे में सेक्शन 173 के तहत की गई जांच का परिणाम क्या है? हम केवल यही जानकारी चाहते हैं। इस पर फिर से हुई जांच का क्या निष्कर्ष निकला? इस बारे में कृपया हमें बताइये। शीर्ष अदालत ने कहा कि बम निर्माण के पीछे की साजिश को लेकर हुई जांच के बारे में सालिसिटर जनरल पीठ को अवगत कराएं। वकील शंकरनारायणन से मुखातिब पीठ ने कहा कि आपसे (पेरारीवलन) जुड़ा अध्याय तो समाप्त हो गया है। यह अध्याय तभी फिर से खुलेगा, जब बेल्ट बम निर्माण के पीछे की साजिश में कुछ गड़बड़ मिलेगा। ध्यान रहे कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी 26 वर्ष पहले 21 मई, 1991 की रात को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदुर में मानव बम धनू द्वारा किए गए आत्मघाती धमाके में मारे गए।

आत्मघाती हमलावर धनू के बेल्ट बम के लिए बैठरी आपूर्ति करने के मामले में पेरारीवलन को दोषी ठहराकर मौत की सजा दी गई थी। इस सजा को सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी, 2014 को उम्रकैद में तब्दील कर दिया।

रजिस्ट्री को दिखाई अंगुली, वकील सस्पेंड

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को अंगुली दिखाना एक वकील को खासा महंगा पड़ गया। चीफ जस्टिस ने घटना का संज्ञान लेकर उसे एक माह के लिए सस्पेंड कर दिया। घटना तब हुई जब वकील मोहित चौधरी रजिस्ट्री के पास गए और अपना केस सूची में न डालने पर बहस करने लगे। रजिस्ट्री के जवाब से संतुष्ट न होने पर उन्होंने उसे अंगुली दिखाई। इससे पहले चौधरी ने सात अप्रैल को चीफ जस्टिस जे.एस. खेहर के समक्ष मामला उठाया था। वह स्लम से जुड़े एक मामले की पैरवी कर रहे थे। उनका मामला जस्टिस अरुण मिश्र व एस. अब्दुल नजीर की स्पेशल बेंच के पास रेफर किया गया। इसे लेकर वह विरोध जता रहे थे। इस पर उनकी रजिस्ट्री के साथ विवाद हुआ था।

''स्वच्छ भारत''

स्वच्छ भारत अभियान को क्लीन इंडिया मिशन या स्वच्छ भारत अभियान के रूप में जाना जाता है। यह एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जो पिछड़े व अन्य क्षेत्रों में साफ-सफाई के काम को अंजाम देता है। स्वच्छ भारत का सपना महात्मा गांधी के द्वारा देखा गया था जिसके संदर्भ में गांधीजी ने कहा कि, "स्वच्छता स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी है।" उनके सपने में वो देश की गरीबी और गंदगी से अच्छे से अवगत थे इसी वजह से उन्होंने अपने सपनों को पाने के लिये कई सारे प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हो सके। जैसा कि उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखा था, उन्होंने कहा था कि निर्मलता और स्वच्छता दोनों ही स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन का अनिवार्य भाग है। लेकिन दुर्भाग्य से भारत की आजादी के 70 साल बाद भी इन दोनों लक्ष्यों से काफी पीछे है। इस अभियान को सर्वप्रथम 04 फरवरी, 1916 के आसपास राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा था कि "देश में सफाई का महत्व माने कि सच्ची स्वतंत्रता प्राप्ति के समान है।" आज राष्ट्रपिता के कहे गये वचनों को अमल करते हुए वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी ने 2 अक्टूबर, 2014 को महात्मा गांधी की 145वीं जन्म शताब्दी अवसर पर राजघाट, नई दिल्ली से कार्यालयी तौर पर "स्वच्छ भारत अभियान" की आधिकारिक घोषणा की गई। अपनी घोषणा में उन्होंने यह बल दिया कि 2 अक्टूबर, 2019 तक अर्थात् महात्मा गांधी के 150वीं जन्म शताब्दी अवसर पर 12 करोड़ ग्रामीण भारत में शौचालयों का निर्माण किये जाने की संभावना व्यक्त की।

स्वच्छ भारत अभियान क्या है?

स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रीय स्वच्छता मुहिम है जो भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, इसके तहत नगरों के सड़क, पैदल मार्ग और अन्य कई स्थल आते हैं। ये एक बड़ा आंदोलन है जिसके तहत भारत को 2019 तक पूर्णतः स्वच्छ बनाना है। इसमें स्वस्थ और सुखी जीवन के लिये महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को आगे बढ़ाया गया है। भारत के शहरी विकास तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के तहत इस अभियान को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू किया गया है।

झांकी

स्वच्छ भारत को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि समाज के विशेषकर पिछड़े बस्तियों में शिक्षा, स्वास्थ्य के अतिरिक्त आस-पास में रह रहे लोगों को साफ-सफाई की बेहतर सुविधा प्राप्त हो, तभी असली स्वराज्य की प्राप्ति संभव है। स्वच्छता से सामंजस्य मिलाकर ही असली स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है।

उद्देश्य

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। सन् 2019 तक स्वच्छ भारत को पूरा करने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों को प्रेरित करना। आवश्यक टिकाऊ स्वच्छता सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय कार्यरत निकायों (जैसे कि समुदायों, पंचायती राज संस्थानों आदि) को प्रेरित करना। ग्रामीण इलाकों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए समुदाय द्वारा अग्रिम पर्यावरणीय स्वच्छता प्रणालियों का प्रबंध करना। ग्रामीण क्षेत्रों में पारिस्थितिक रूप से सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता को बढ़ावा देना।

स्वच्छ भारत अभियान की जरूरत

अपने उद्देश्य की प्राप्ति तक भारत में इस मिशन की कार्यवाही निरन्तर चलती रहनी चाहिए। भौतिक, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक कल्याण के लिये भारत के लोगों में इसका एहसास होना बेहद आवश्यक है। ये सही मायनों में भारत की सामाजिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिये है जो हर तरफ स्वच्छता लाने से शुरू किया जा सकता है। यहां नीचे कुछ बिन्दु उल्लिखित किये जा रहे हैं जो स्वच्छ भारत अभियान की आवश्यकता को दिखाते हैं।

- ये बेहद जरूरी है कि भारत के हर घर में शौचालय हो साथ ही खुले में शौच की प्रवृत्ति को भी खत्म करने की आवश्यकता है।
- अस्वास्थ्यकर शौचालय को पानी से बहाने वाले शौचालयों से बदलने की आवश्यकता है।
- हाथ के द्वारा की जाने वाली साफ-सफाई की व्यवस्था को जड़ से खत्म करना जरूरी है।
- नगर निगम के कचरे का पुनर्चक्रण और दुबारा इस्तेमाल, सुरक्षित समापन, वैज्ञानिक तरीके से मल प्रबंधन को लागू करना।
- खुद के स्वास्थ्य के प्रति भारत के लोगों की सोच और स्वभाव में परिवर्तन लाना और स्वास्थ्यकर साफ-सफाई की प्रक्रियाओं का पालन करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में वैश्विक जागरूकता का निर्माण करने के लिये और सामान्य लोगों को स्वास्थ्य से जोड़ने के लिये।
- इसमें काम करने वाले लोगों को स्थानीय स्तर पर कचरे के निष्पादन का नियंत्रण करना, खाका तैयार करने के लिये मदद करना।
- पूरे भारत में साफ-सफाई की सुविधा को विकसित करने के लिये निजी क्षेत्रों की हिस्सेदारी बढ़ाना।
- भारत को स्वच्छ और हरियाली युक्त बनाना।
- ग्रामीण क्षेत्र में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना।
- स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से समुदायों और पंचायती राज संस्थानों को निरंतर साफ-सफाई के प्रति जागरूक करना।
- वास्तव में बापू के सपनों को सच करने के लिये ये सब करना है।

शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान

शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य हर नगर में ठोस कचरा प्रबंधन सहित सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय उपलब्ध कराना है। सामुदायिक शौचालय के निर्माण की योजना रिहायशी इलाकों में की गई है जहां पर व्यक्तिगत घरेलू शौचालय की उपलब्धता मुश्किल है इसी तरह सार्वजनिक शौचालय की प्राधिकृत स्थानों पर जैसे बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, बाजार आदि जगहों पर। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम को पांच वर्षों के अंदर 2019 तक पूरा करने की योजना है। वो कार्यक्रम जिन्हें पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है- खुले में शौच की प्रवृत्ति को जड़ से हटाना, अस्वास्थ्यकर शौचालय को पानी से बहाने वाले शौचालयों में परिवर्तन, खुले हाथों से साफ-सफाई की प्रवृत्ति को हटाना, लोगों की सोच में परिवर्तन लाना और ठोस कचरा प्रबंधन करना।

ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन

ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन एक ऐसा अभियान है जिसमें ग्रामीण भारत में स्वच्छता कार्यक्रम को अमल में लाना है। ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ बनाने के लिये 1999 में भारतीय सरकार द्वारा इससे पहले निर्मल भारत अभियान (जिसको पूर्ण स्वच्छता अभियान भी कहा जाता है) की स्थापना की गई थी लेकिन अब इसका पुनर्गठन स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) के रूप में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को खुले में शौच करने की मजबूरी से रोकना है। ध्यान देने योग्य है कि सरकार ने कचरे को जैविक खाद और इस्तेमाल करने लायक ऊर्जा में परिवर्तित करने की भी है। इसमें ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति की अच्छी भागीदारी है। निम्नलिखित स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का लक्ष्य है:

- ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना।
- 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई के लिये लोगों को प्रेरित करना।
- जरूरी साफ-सफाई की सुविधाओं को निरंतर उपलब्ध कराने के लिये पंचायती राज संस्थान, समुदाय आदि को प्रेरित करते रहना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और द्रव कचरा प्रबंधन पर खासतौर से ध्यान देना तथा उन्नत पर्यावरणीय साफ-सफाई व्यवस्था का विकास करना जो समुदायों द्वारा प्रबंधनीय हो।
- ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर साफ-सफाई और पारिस्थितिक सुरक्षा को प्रोत्साहित करना।

स्वच्छ भारत-स्वच्छ विद्यालय अभियान

ये अभियान केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा चलाया गया और इसका उद्देश्य भी स्कूलों में स्वच्छता लाना है। इस कार्यक्रम के तहत 25 सितम्बर 2014 से 31 अक्टूबर 2014 तक केन्द्रिय विद्यालय और नवोदय विद्यालय संगठन जहां कई सारे स्वच्छता क्रिया-कलाप आयोजित किये गए जैसे विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा, इससे संबंधित महात्मा गांधी की शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य विज्ञान के विषय पर चर्चा, स्वच्छता क्रिया-कलाप (कक्षा में, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, मैदान, बगीचा, किचन शेड, दुकान, खान-पान की जगह इत्यादि)। स्कूल क्षेत्र में सफाई, महान व्यक्तियों के योगदान पर भाषण, निबंध लेखन प्रतियोगिता, कला, फिल्म, चर्चा, चित्रकारी तथा स्वास्थ्य और स्वच्छता पर नाटक मंचन आदि। इसके अलावा सप्ताह में दो बार साफ-सफाई अभियान चलाया जाना जिसमें शिक्षक, विद्यार्थी और माता-पिता सभी हिस्सा लेंगे।

उत्तर प्रदेश में स्वच्छता की एक और पहल

मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ (उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री) ने स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कार्यालयों में चबाने वाला पान, पान मसाला, गुटका और तम्बाकू उत्पादों (विशेषकर इयूटी के समय में) पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने इस पहल की शुरूआत सरकारी इमारत में अपनी पहली यात्रा के बाद की जब उन्होंने पान के दाग दीवारों और कोनों को देखा।

निष्कर्ष

इस तरह हम कह सकते हैं कि 2019 तक भारत को स्वच्छ और हरा-भरा बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान एक स्वागत योग्य कदम है। जैसा कि हम सभी ने कहावत में सुना है 'स्वच्छता भगवान की ओर अगला कदम है'। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अगर भारत की जनता द्वारा प्रभावी रूप से इसका अनुसरण किया गया तो आने वाले चंद वर्षों में स्वच्छ भारत अभियान से पूरा देश भगवान का निवास स्थल सा बन जायेगा। चूंकि स्वच्छता से ईश्वर का गर्मजोशी से स्वागत शुरू हो चुका है तो हमें भी अपने जीवन में स्वच्छता को जारी रख उनको बनाये रखने की आवश्यकता है, एक स्वस्थ देश और स्वस्थ समाज को जरूरत है कि उसके नागरिक स्वस्थ रहें तथा हर व्यवसाय में स्वच्छता हो।

जयहिन्द, जय भारत

अरुण कुमार सिन्हा, गुरुग्राम

आम आदमी पाटी विधि प्रकोष्ठ, राजस्थान

आप
आम आदमी पार्टी
राजस्थान

राजस्थान में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए
राजस्थान के अधिवक्ताओं से निवेदन है कि
AAP Legal Cell, Rajasthan से जुड़े।
निःशुल्क सदस्य बनने के लिए
अपना नाम, पता व मोबाईल नम्बर भिजवाये

सम्पर्क सूत्र

पूनमचंद भण्डारी	शंकर सोनी	इन्द्रजीत खथूरिया	सुरेश शर्मा
7737373479	8890622976	9828048907	9414788237
संयोजक	सह संयोजक	सदस्य	सदस्य

लालू के आरोप पर हाई कोर्ट ने सीबीआई जज से मांगी रिपोर्ट

रांची। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की ओर से सीबीआइ जज पर आरोप लगाए जाने के मामले में हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने सीबीआइ के विशेष जज से रिपोर्ट मांगी है। हाई कोर्ट ने जज से 29 जुलाई तथा 3 अगस्त व 10 अगस्त की सुवाई की रिपोर्ट तलब की है। अब इस मामले की सुनवाई 25 अगस्त को होगी। सुनवाई के दौरान लालू के अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह की ओर से कोर्ट को बताया गया कि डीजी रैंक के अधिकारी और बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक सुनील कुमार की गवाही 29 जुलाई को दर्ज होनी थी। लेकिन वे उस समय नहीं पहुंचे। तीन अगस्त को सुनील कुमार चारा घोटाले के एक दूसरे मामले में सीबीआइ कोर्ट में गवाही देने पहुंचे थे। इसके बाद लालू की ओर से कोर्ट में आवेदन देकर गवाही कराने की मांग की गई थी। कोर्ट ने सुनील कुमार को कठघरे में बुलाया और उनका नाम-पता पूछा। इसके बाद जज ने गवाह से जाति पूछी।

जाति पूछने के बाद जज ने कहा कि उन्हें 10 अगस्त को समन किया गया था, वह आज कैसे आ गए? इसके बाद जिस कागज पर उनका नाम-पता नोट किया था, उसे फाड़ दिया। लालू के अधिवक्ता ने कहा कि सीबीआई के जज पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और उनसे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में रांची में ही दूसरे जज के पास इस मामले को ट्रांसफर कर दिया जाए। वहीं सीबीआइ के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि लालू प्रसाद की कोर्ट बदलने की मांग करने की पुरानी आदत है। इससे पहले भी वे केस नम्बर आरसी 20 में सीबीआई जज को बदलने की मांग कर चुके हैं।

हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के ट्रेनी जज को पद से हटाया

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट में ट्रेनिंग कर रहे एक जज को हटा दिया है। जज को हटाने की फाइल उपराज्यपाल को 10 अगस्त को भेजी गई थी, जिसे मंजूरी भी मिल चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट के संयुक्त रजिस्ट्रार दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहे जज नितेश गुप्ता प्रोबेशन पर थे। उन्हें निकालने से पूर्व किसी प्रकार का कारण बताना अनिवार्य नहीं है। दिल्ली ज्यूडिशियल सर्विस रूल की धारा 22 के तहत हाई कोर्ट के पास यह पूर्ण अधिकार है कि वह ट्रेनिंग कर रहे किसी भी जज को बिना कारण बताए पद से हटा दे। हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने यह निर्णय लिया है। खास बात यह है कि गुप्ता को हटाए जाने के चार दिन बाद ही उनके प्रोबेशन का समय पूरा होने वाला था। इसके बाद उन्हें स्थायी नियुक्ति मिल जाती। वह जुलाई 2016 से प्रोबेशन पर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहे थे। हाई कोर्ट ने जुलाई माह में जारी की ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट में गुप्ता का नाम भी शामिल किया था। उन्हें तीस हजारी अदालत में महानगर दंडाधिकारी की स्थायी नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया था। गुप्ता को 14 अगस्त को चेक बाउंस के मामलों से जुड़ी अदालत में कार्यभार संभालना था।

इससे पूर्व हाई कोर्ट एक नामी बिल्डर को गलत तरीके से जमानत देने वाले निचली अदालत के एक 58 वर्षीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को भी सेवानिवृत्त कर चुका है।

पाक्षिक
न्यायिक ज्वाला

आजीवन	:	रू. 1500/-
वार्षिक शुल्क	:	रू. 100/-
मासिक	:	रू. 10/-
एक प्रति	:	रू. 5/-

न्यायिक ज्वाला
एसबी-3, ओटीएस के सामने, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
फोन : 2701029, 2710110

परामर्श मण्डल
न्यायिक ज्वाला

1.	श्री जे.पी. बंसल	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
2.	श्री दामोदर मिश्रा	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
3.	श्री वी.के. अग्रवाल	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
4.	श्री डॉ.पी.एन. रछोया	सेवा निवृत्त अति. महानिदेशक, राजस्थान पुलिस
5.	डा. मोहिनी शर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर, महारानी कॉलेज
6.	श्री रामदयाल खंडेलवाल	संस्थानिक प्रतिनिधि
7.	श्री विष्णुकांत शर्मा	एडवोकेट

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक श्रीगोपाल शर्मा के लिये अम्बर ऑफसेट प्रा.लि.कार्यालय मुकुन्दगढ़ हाऊस, संसार चन्द्र रोड, जयपुर से मुद्रित एवं एस.बी.-3, ओटीएस के सामने, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर से प्रकाशित। फोन : 2710110, 9928440556 प्रधान संपादक श्रीगोपाल शर्मा, संपादक सुधीर शर्मा, सह सम्पादक गोविन्द मिश्र, सुरेश अग्रवाल। Website : www.nyayikjwala.org.
ई-मेल आई डी : sgs.nyayikjwala@yahoo.com, info@nyayikjwala.org. पत्र से संबंधित तमाम विवादों का निपटारा जयपुर न्यायिक क्षेत्र में ही होगा।